डॉक्टर, इंजीनियर या अंतरिक्ष विज्ञानी बनने की मजबूत बुनियाद है विज्ञान

कॅरिअर के सपनों को पंख लगाएगा अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड

NATIONAL OLYMPIADS By अमर उजाला

नई दिल्ली। आज विज्ञान केवल एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के लगभग हर बड़े अवसर की बुनियाद बन चुका है।

मेडिकल, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिफेंस, एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है।

टॉप थ्री चैंपियन को यूरो स्पेस सेंटर जाने का मौका

- अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड 2026-27 के तहत टॉप थ्री चैंपियन अवार्ड विजेताओं को अपने एक अभिभावक के साथ यूरो स्पेस सेंटर की शैक्षणिक यात्रा करने का अवसर मिलेगा। विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सीखने, प्रेरणा और वैश्विक स्तर पर स्पेस शिक्षा से जुड़ने का एक विशेष अवसर होगा।

पंजीकरण प्रारंभ

- कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड 2026–27 में भाग लेकर अपनी तैयारी और क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर परख सकते हैं।
- चैंपियन अवार्ड, पात्रता, चयन प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें तथा अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।

क्यूआर कोड स्कैन कर तुरंत रजिस्टर करें।

वेबसाइट

www.amarujalaolympiad.com

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
1800-121-1166

विज्ञान क्यों भविष्य के लिए महत्वपूर्ण

- फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की समझ विद्यार्थियों के लिए अनेक कॅरियर विकल्पों के द्वार खोलती है।
- एआई रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों की बुनियाद विज्ञान पर ही आधारित है।
- विज्ञान विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करता है। यही क्षमताएं नई खोजों, प्रयोगों और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती हैं।

साइंस ओलंपियाड क्यों अहम

- विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी व क्षमता परखने का मिलेगा मौका।
- सही समय पर अपनी क्षमता और कमजोरी की पहचान कर उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलती है।
- भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी परीक्षा कौशल विकसित करने में भी यह सहायक हो सकता है।

यूक्रेन की ताकत जैवलिन मिसाइल अब भारत की बनेगी शान

नई दिल्ली। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर चर्चा में आई अमेरिका की एफजीएम-148 जैवलिन टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी।

सेना ने इस गाइडेड मिसाइल प्रणाली को खरीदने के लिए आधिकारिक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सौदे के तहत सेना को 100 जैवलिन मिसाइलें और 25 स्पेशल लॉन्चिंग यूनिट मिलेंगी। साथ ही जवानों की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर, जरूरी स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी मदद भी मिलेगी। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर इसे भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी में अहम पड़ाव बताया। इस प्रणाली को अमेरिका की रक्षा कंपनियां आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन मिलकर बनाती हैं। ब्यूरो

30 इंच से अधिक मोटे लोहे के कवच को भेद सकता है

- **दागो और भूल जाओ :** लक्ष्य तय होने के बाद मिसाइल खुद ट्रैक करती है। दिशा देने की जरूरत नहीं। टैंक की छत को निशाना बनाती है।
- **पोर्टेबल सिस्टम के कारण** अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक अपेक्षाकृत तेजी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
- **धनुषाकार उड़ती है मिसाइल :** इसे लॉन्च करने के तुरंत बाद सैनिक स्थिति बदल सकते हैं, जिससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बच सकते हैं।

रामदेव ने कंगना को कहा-बहन भेजे पैसे-मिठाई, विवाद खत्म

हरिद्वार। कुछ दिन पहले तक एक-दूसरे पर तीखे तंज कस रहे बाबा रामदेव और भाजपा सांसद कंगना रणौत के बीच चल रहा विवाद खत्म हो गया है।

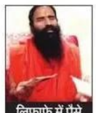
लिफाफे में पैसे डालते रामदेव।

योगगुरू बाबा रामदेव ने शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर कंगना को मिठाई, और पैसे भेजकर पुराने गिले-शिकवे भुलाने की पहल की। उन्होंने कंगना को अपनी बहन बताते हुए कहा कि उन्हें फोन पर भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। रामदेव ने हरिद्वार में कहा कि देश और समाज में किसी भी वजह से नफरत या बैर की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाद बातचीत से खत्म होने चाहिए। कंगना ने भी रामदेव की इस पहल पर सार्थक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रामदेव को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि त्योहार पुराने गिले-शिकवे भुलाने के लिए होते हैं। एजेंसी

यूएनएचसीआर गंभीर वित्तीय संकट में, कम करेगा 16% बजट

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण उसे 2027 के लिए अपने बजट में 16% की कटौती करके इसे 7.14 अरब डॉलर करने और लगभग 3,500 स्टाफ पदों को कम करने की योजना बनानी पड़ी है, आंतरिक दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। यह बड़ी कटौती ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर में विस्थापन बढ़कर 13 करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने का अनुमान है। एजेंसी

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक
circulation@amarujala.com

खबरें मोबाइल पर amarujala.com

रोज़ाना ताज़गी जगाने वाला, आपका पहला प्याला.

पिता को मानसिक बीमार बता चाहता था कब्जा, अब फ्लैट से बेटा ही बेदखल

मुंबई। 78 वर्षीय पिता (सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी) को मानसिक रूप से बीमार बता फ्लैट पर कब्जे की कोशिश बेटे पर भारी पड़ गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिता की मानसिक स्थिति की जांच कराने की बेटे की मांग को खारिज करते हुए उसे ही पिता के फ्लैट से बेदखल कर दिया। साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने बेटे की कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि कानून ढाल है, तलवार नहीं। बेटे ने बुजुर्ग पिता को अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझाने की कोशिश की है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और कमल खाता की पीठ ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि किसी विरोधी पक्ष के खिलाफ दबाव बनाने के लिए। अदालत ने इसे कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला माना।

संपत्ति विवाद से शुरू हुई लड़ाई : अंधेरी में रहने वाले 54 वर्षीय बेटे ने 2015 में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर पिता के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जो अभी लंबित है। दिसंबर 2025 में उसने हाई कोर्ट में आवेदन देकर पिता की मानसिक स्थिति की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की। उसका दावा था कि पिता मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। साथ ही पिता के फ्लैट परअपना दावा भी ठोक रहा था। बेटे ने इसके लिए जुलाई 2024 की एक मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लिया। एजेंसी

बेटियों ने पूछा बचपन का सपना मोदी बोले-आप लोगों से मिलना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ हंसी-मजाक, हाई-फाइव और बातचीत की।

पीएम मोदी ने बच्चों के साथ विशेष रक्षा बंधन समारोह की झलकियां भी शेयर की हैं। बातचीत के दौरान एक बच्ची ने पीएम मोदी से उनके बचपन के सपने के बारे में पूछा।

बच्ची ने पूछा, आपका बचपन का सपना। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, आप लोगों से मिलने का। इसके बाद सभी छात्राएं हंसने लगीं।

पीएम ने बच्चों को आशीर्वाद भी दिया और रक्षाबंधन समारोह के दौरान उनके साथ समय बिताया। इससे पहले, पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। एजेंसी

बच्चों से बातचीत करते प्रधानमंत्री मोदी।

एआई की कहानियां इंसानी लेखकों पर भारी

वाशिंगटन। एआई अब रचनात्मक लेखन में भी मानव लेखकों को चुनौती देती दिख रही है। अमेरिका के विलानोवा विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाठकों ने चैटजीपीटी से तैयार लघु कहानियों को मानव लेखकों की प्रकाशित कहानियों से बेहतर रेटिंग दी। अध्ययन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की पत्रिका जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में प्रकाशित हुआ है।

चैटजीपीटी की लघु कहानियों को पाठकों ने खूब पसंद किया

शोधकर्ताओं ने 18 से 81 वर्ष आयु के 2,587 वयस्कों पर तीन प्रयोग किए। छह कहानियों में तीन मानव लेखकों की प्रकाशित रचनाएं और उन्हीं के चैटजीपीटी संस्करण शामिल थे। पहले प्रयोग में 1,682 प्रतिभागियों ने एक-एक कहानी पढ़ी। आधे को लेखक की सही जानकारी दी गई और आधे को गलत।

एआई कहानियों को लेखन गुणवत्ता और पाठकीय जुड़ाव, दोनों में अधिक अंक मिले। सबसे ऊंची रेटिंग उन एआई कहानियों को मिली, जिन्हें मानव-लिखित बताया गया।

दूसरे और तीसरे प्रयोग में 905 प्रतिभागियों को मानव और एआई की एक-एक कहानी देकर पहचानने को कहा गया। शोधकर्ता डीना स्कोलनिक वाइसबर्ग के अनुसार एआई लेखन अक्सर स्पष्ट, सीधा और आसानी से समझ आने वाला होता है, जबकि मानव लेखन अधिक सूक्ष्म हो सकता है। अध्ययन सीमित कहानियों और चैटजीपीटी के पुराने संस्करण पर आधारित है। नेटवर्क

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवरी शाखा, द्वितीय तल, अजीत कॉम्प्लेक्स, सहारनपुर रोड, देहरादून–248001

"APPENDIX-IV-A" { See proviso to rule 8 (6)}

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को भारतीय स्टेट बैंक सार्व (प्रतिभूति लेनदार) के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित रखा गया है, जिसका कब्जा, भारतीय स्टेट बैंक सार्व, सुरक्षित लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित तिथियों पर **'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है'** के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री, सुरक्षित लेनदार को उधारकर्ताओं, जमानतदारों और गिरवीदारों से वसूल की जाने वाली नीचे उल्लिखित राशि की वसूली के लिए की जाएगी। आरक्षित मूल्य और जमा की जाने वाली बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) क्रमशः नीचे दी गई है।

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 16.09.2026

उधारकर्ता (बी) / गारंटर (जी) का नाम और पता	नीलामी के अंतर्गत कवर किया गया सुरक्षा प्रभारी का पता (सांकेतिक/भौतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य (आरपी) / ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10% / वृद्धिशील राशि	बकाया वसूली के लिए जिन संपत्तियों को बेचा जा रहा है	संपर्क व्यक्ति का नाम और नम्बर	ई–नीलामी की तिथि प्रत्येक 10 मिनट की असीमित अवधि के साथ	संपत्ति के ऑन–साइट निरीक्षण की तिथि/समय
को मैसर्स सम्राट एंटरप्राइजेज, पार्टनर मोहम्मद मुमताज और श्रीमती जमशीदा बेगम, बड़े मंदिर के पास, लकडी मंडी, परतामपुर रोड, जसपुर पट्टी जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 244712 **उधारकर्ता / गारंटर :** 1) मोहम्मद मुमताज पुत्र मोहम्मद रफीक वार्ड नंबर 13, तकिये वाली मस्जिद, मोहल्ला नई बस्ती जसपुर पट्टी जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 244712 2). श्रीमती जमशीदा बेगम पत्नी मोहम्मद मुमताज, वार्ड नंबर 13, तकिये वाली मस्जिद, मोहल्ला नई बस्ती जसपुर पट्टी जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 244712	खसरा संख्या 70 मिन पर स्थित 0.943 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि पर समतामूलक बंधक, के गाँव निवारमुंडी तहसील जसपुर उत्तराखंड के जमशीदा बेगम पत्नी मोहम्मद मुमताज के स्वामित्व। मूल विलेख संख्या 3811, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 361, पृष्ठ 375–386 पर 29 अक्टूबर 2015 का उप–पंजीयक कार्यालय जसपुर, उत्तराखंड में पंजीकृत। **बिक्री विलेख के अनुसार सीमाबद्ध और बटित : पूर्व :** आरजी अनीशा बेगम **पश्चिमः** आरजी झबरू अली **उत्तरः** रोड **दक्षिणः** आरजी शील चंद्र।	Rs.382.00 Lac Rs.38.20 lac Rs.1.00 lac	रु. 5,16,25,000/– 13(2) दिनांक 24.01.2025 के अनुसार 23.01.2025 तक लागू ब्याज सहित और 24.01.2025 से भविष्य का ब्याज+कानूनी शुल्क+ लागत और अन्य खर्च आदि, कम वसूली यदि कोई हो।	श्री सूरज रावत मो0 7589303809 अनुराग जुझेलिया मो0 9987636661	17.09.2026 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक)	07.09.2026 को दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच।)

ई–नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1–ई–नीलामी **"जैसा है, जहां है" "जैसा है, जो है" "और जो कुछ है"** के आधार पर आयोजित की जा रही है और 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के ई–नीलामी निविदा दस्तावेज के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें ऑनलाइन ई–नीलामी बोली प्रपत्र शामिल होगा। ऑनलाइन नीलामी बिक्री की घोषणा, सामान्य नियम और शर्तें पीएसबी एलायंस ईबीकेरे पोर्टल **https://baanknet.com/eauction.psb/x-login** पर ई–नीलामी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

2– प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणों के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/ बकायों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

3–इच्छुक बोलीदाता प्री–बिड ईएमडी (बिड अग्रिम राशि) पीएसबी एलायंस ईबकेरे पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 16.09.2026 है। प्री–बिड ईएमडी बोलीदाता को पीएसबी एलायंस ईबकेरे पोर्टल खाते में भुगतान प्राप्त होने और ई–नीलामी वेबसाइट पर ऐसी जानकारी को अद्यतन करने के बाद ही जमा की जाएगी। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है, इसलिए बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में प्री–बिड ईएमडी राशि समय से पहले जमा कर दें ताकि अंतिम समय में कोई समस्या न आए।

4–बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी।

5–ई–नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइटों **https://baanknet.com/eauction.psb/x-login. & https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices/** पर प्रकाशित हैं।

दिनांक : 21.08.2026 स्थानः देहरादून — **प्राधिकृत अधिकारी**

दि कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय–कुर्मांचल भवन, तल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड–263001

अनुबंध–ई अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

"परिशिष्ट– IV-A [नियम 6 (2) और 8 (6) का नियम देखें]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 (2) और 8 (6) के नियम के साथ पठित

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं), बंधककर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा ले लिया गया है। नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया की वसूली के लिए ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर/प्रतिभूत संपत्ति/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे उल्लिखित है–

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता/मालिक का नाम और पता	ज्ञात बाधा, यदि कोई हो, सहित अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण दें	डिमांड नोटिस के अनुसार कुल बकाया	न्यूनतम आरक्षित मूल्य
1. (शाखा– गदरपुर, ई-मेल: gadarpur@kurmanchalbank.bank.in)	1. **मैसर्स पावर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस.** अपने साझेदारों श्री अजय छाबड़ा और श्रीमती सपना छाबड़ा के माध्यम से, पता– वार्ड नं. 09, अनाज मंडी, गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 2. श्री अजय छाबड़ा पुत्र श्री हरिचंद्र छाबड़ा, पता– वार्ड नं. 09, अनाज मंडी, गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 3. श्रीमती सपना छाबड़ा पत्नी श्री अजय छाबड़ा, पता– वार्ड नं. 09, अनाज मंडी, गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 4. श्री विजय हुरिया पुत्र प्यारे लाल, पता– ग्राम– गिरधरनगर, सीतापुर, गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 5. श्री सोमनाथ अरोड़ा पुत्र हंसराज, पता– मकान नंबर 363, वार्ड नं. 05, आवास विकास, गदरपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड।	संपत्ति- संपत्ति का वह पूरा भाग और अंश जिसका न्यायसंगत बंधक किया गया है, जो खसरा/खतौनी सं. 01481, खसरा संख्या 613 क मिन, क्षेत्रफल 230.18 वर्ग मीटर, ग्राम बारखेड़ा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर की भूमि है। सीमांकन इस प्रकार है:– पूर्व की ओर: 30 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर: राधा स्वामी सत्संग भवन, उत्तर की ओर: रीता रानी और राहुल छाबड़ा की भूमि, दक्षिण की ओर: हरिचंद छाबड़ा (दाता) की भूमि। उप–रजिस्ट्रार, बाजपुर के कार्यालय में दिनांक 24.01.2019 को बही सं. 1, खंड 2698, पृष्ठ 319–348 पर क्रम संख्या 681 पर विधिवत पंजीकृत।	₹ 30,87,133.77 (रुपये तीस लाख सत्तासी हजार एक सौ तैंतीस एवं पैसे सतहत्तर मात्र), साथ ही उस पर ब्याज एवं खर्च। दिनांक 31.08.2025 तक (यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर) **ई-नीलामी की तिथि एवं समय** 06.10.2026 प्रात: 11 बजे से अप. 02 बजे तक **सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय** 25.09.2026 प्रात: 11 बजे से सायं 04 बजे तक	₹ 35,30,000.00 (रुपये पैंतीस लाख तीस हजार मात्र) **ई० एम० डी०** ₹ 3,53,000.00 (रुपये तीन लाख तिरपन हजार मात्र) **बोली वृद्धि राशि** ₹ 30,000.00 (रुपये तीस हजार मात्र) **कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)** भौतिक कब्जा
2. (शाखा– काशीपुर, ई-मेल: kashipur@kurmanchalbank.bank.in)	1. **मैसर्स विकास ट्रेडर्स.** प्रोपराइटर श्री विकास अरोरा पुत्र श्री शशि भूषण दुआ के माध्यम से, पता– मकान नंबर 163, वार्ड 14, सिंघन, काशीपुर, जिला– यू.एस. नगर, उत्तराखंड। 2. श्री विकास अरोरा पुत्र श्री शशि भूषण दुआ, पता– मकान नंबर 163, वार्ड 14, सिंघन, काशीपुर, जिला– यू.एस. नगर, उत्तराखंड। 3. श्रीमती बीना दुआ पत्नी श्री शशि भूषण दुआ, पता– मकान नंबर 163, वार्ड 14, सिंघन, काशीपुर, जिला– यू.एस. नगर, उत्तराखंड। 4. श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, पता– मकान नंबर 656, वार्ड नंबर 18, मोहल्ला– मानव विहार, कटोराताल, काशीपुर, जिला– यू.एस. नगर, उत्तराखंड। 5. श्री इशू दुआ पुत्र श्री अश्वनी कुमार दुआ, पता– वार्ड नंबर 13, मोहल्ला गंज, मुखर्जी नगर, काशीपुर, जिला– यू.एस. नगर, उत्तराखंड।	संपत्ति- संपत्ति का वह हिस्सा और आंशिक न्यायसंगत बंधक जो मकान संख्या 265/167, क्षेत्रफल 162.30 वर्ग मीटर की जमीन का है, तहसील–काशीपुर, जिला– यू.एस. नगर। यह मूल रूप से बिक्रीनामा संख्या 4146 दिनांक 29.11.2001 के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी। यह विलेख स्वर्गीय श्री राम रूप अग्रवाल के पुत्र श्री दिनेश चंद्र अग्रवाल द्वारा श्री शशि भूषण दुआ की पत्नी श्रीमती बीना दुआ के पक्ष में निष्पादित किया गया था और उप–पंजीयक कार्यालय, काशीपुर (जिला–यू.एस. नगर) में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 1148, पृष्ठ 285–288, क्रमांक 4146 पर दर्ज है। सीमाएं निम्न प्रकार है: (बिक्रीनामा के अनुसार):– पूर्वः रास्ता नगर पालिका, पश्चिमः शक्ति चंद का मकान, उत्तरः रास्ता नगर पालिका, दक्षिणः देवेंद्र चंद्र सिंघल की संपत्ति। बाद में आंशिक बिक्री:- बैंक से बेचने की अनुमति प्राप्त करने के बाद, श्रीमती बीना दुआ पत्नी श्री शशि भूषण दुआ ने बंधक रखी गई संपत्ति का एक हिस्सा, विशेष रूप से मकान संख्या 265/167 की 97.60 वर्ग मीटर जमीन, श्री राम स्वरूप अरोरा के पुत्र श्री मनोज अरोरा को बेच दी। यह लेन–देन दिनांक 28.03.2024 के एक बिक्रीनामा के माध्यम से पूरा हुआ, जो उप–पंजीयक, काशीपुर (जिला–यू.एस. नगर) के कार्यालय में बही संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 8051, पृष्ठ 399–424, एसआई संख्या 3130 दिनांक 28.03.2024 पर पंजीकृत है। इस बिक्री के परिणामस्वरूप, मूल संपत्ति की केवल 64.70 वर्ग मीटर जमीन ही श्रीमती बीना दुआ के नाम पर शेष है। दिनांक 29.11.2001 के बिक्रीनामा और दिनांक 28.03.2024 के बिक्रीनामा के सह–संबंधी पठन के अनुसार, संपत्ति की वर्तमान सीमाएं इस प्रकार हैं: सीमाएं निम्न प्रकार हैं:– पूर्वः रास्ता नगर पालिका, पश्चिमः मनोज अरोरा का मकान, उत्तरः रास्ता नगर पालिका, दक्षिणः निर्मला सिंघल की संपत्ति।	₹ 24,49,979.21 (रुपये चौबीस लाख उनचास हजार नौ सौ उनहत्तर एवं पैसे इक्कीस मात्र) दिनांक 31.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज और खर्च। (यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर) **ई-नीलामी की तिथि एवं समय** 06.10.2026 प्रात: 11 बजे से अप. 02 बजे तक **सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय** 25.09.2026 प्रात: 11 बजे से सायं 04 बजे तक	₹ 13,53,000.00 (रुपये तेरह लाख तिरपन हजार मात्र) **ई० एम० डी०** ₹ 1,36,000.00 (रुपये एक लाख छत्तीस हजार मात्र) **बोली वृद्धि राशि** ₹ 15,000.00 (रुपये पंद्रह हजार मात्र) **कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)** सांकेतिक कब्जा
3. (शाखा– सितारगंज, ई-मेल: sitarganj@kurmanchalbank.bank.in)	1. **दिवंगत श्री हरीश कुमार, पिताः श्री कुंवर सेन** (कानूनी वारिसों के माध्यम से), निवासी: सिद्धि विनायक कॉलोनी, बिज्टी रोड, वार्ड नं. 10, सितारगंज, जिला– उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 2. श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, पतिः श्री हरीश कुमार, निवासी: सिद्धि विनायक कॉलोनी, बिज्टी रोड, वार्ड नं. 10, सितारगंज, जिला– उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 3. श्री राहुल श्रीवास्तव, पिताः श्री हरीश कुमार, निवासी: सिद्धि विनायक कॉलोनी, बिज्टी रोड, वार्ड नं. 10, सितारगंज, जिला– उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 4. श्री इशु श्रीवास्तव, पिताः श्री हरीश कुमार, निवासी: सिद्धि विनायक कॉलोनी, बिज्टी रोड, वार्ड नं. 10, सितारगंज, जिला – उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 5. श्री जुगनू श्रीवास्तव, पिताः श्री हरीश कुमार, निवासी: सिद्धि विनायक कॉलोनी, बिज्टी रोड, वार्ड नं. 10, सितारगंज, जिला – उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 6. श्रीमती प्रियांशी श्रीवास्तव, पिताः श्री हरीश कुमार, निवासी: सिद्धि विनायक कॉलोनी, बिज्टी रोड, वार्ड नं. 10, सितारगंज, जिला – उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 7. श्रीमती मुस्कान श्रीवास्तव, पिताः श्री हरीश कुमार, निवासी: सिद्धि विनायक कॉलोनी, बिज्टी रोड, वार्ड नं. 10, सितारगंज, जिला – उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 8. श्री राम किशन, पिताः श्री राम नारायण, निवासी: वार्ड नं. 05, इस्लाम नगर, सितारगंज, जिला – उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। 9. श्री जय कुमार, पिताः चंद्र सेन, निवासी: वार्ड नं. 05, जेल कैंप रोड, सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।	संपत्ति- खाता संख्या 499 (वर्तमान में 134) तथा खेत/खसरा संख्या 272/1 मिनी में स्थित संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 59.479 वर्ग मीटर है, जो ग्राम – रामपुरा, तहसील – सितारगंज, जिला – उधम सिंह नगर में स्थित है। चौहद्दी (सीमाएं)– पूर्व की ओर: मंदिर की संपत्ति, पश्चिम की ओर: 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर की ओर: विक्रेता का भवन, दक्षिण की ओर: हरजिंदर कौर का प्लॉट। उप–निबंधक कार्यालय, सितारगंज में बही संख्या 1, जिल्द (वॉल्यूम) – 1197, पृष्ठ 271–286 पर, क्रमांक संख्या 5098 के तहत दिनांक 26.12.2017 को विधिवत पंजीकृत है।	₹ 15,92,316.91 (रुपये पंद्रह लाख बानवे हजार तीन सौ सोलह एवं पैसे इक्यानवे मात्र) दिनांक 31.12.2024 तक इसके अलावा इस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्च (यदि कोई वसूली हुई हो, तो उसे घटाकर) **ई-नीलामी की तिथि एवं समय** 06.10.2026 प्रात: 11 बजे से अप. 02 बजे तक **सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय** 25.09.2026 प्रात: 11 बजे से सायं 04 बजे तक	₹ 24,40,000.00 (रुपये चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) **ई० एम० डी०** ₹ 2,44,000.00 (रुपये दो लाख चवालीस हजार मात्र) **बोली वृद्धि राशि** ₹ 20,000.00 (रुपये बीस हजार मात्र) **कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)** भौतिक कब्जा

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया *https://kurmanchalbank.bank.in* एवं *sarfaesi.auctiontiger.net* में दिए गए लिंक को देखें। इसके अलावा, संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से मोबाइल 8077272447 पर संपर्क कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया एवं ब्याज और लागत सहित, यदि कोई हो, वसूल किया जायेगा।

दिनांक : 29.08.2026 स्थान – नैनीताल, उत्तराखण्ड **प्राधिकृत अधिकारी**